



## भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2022

### प्रलिस के ललल:

[मोटर वाहन संशोधन अधनललम, 2019](#), भारत में सड़क दुर्घटनाएँ- 2022, सड़क परवलहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, [एशलल एवं परशांत के ललल संयुक्त राष्ट्र आरथकल व सामाजकल आयोग \(UNESCAP\)](#), [राष्टरीय राजमार्ग और एकसपरेसवे](#)

### मेन्स के ललल:

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ- 2022, वभलनलन क्षेत्रों में वकलस हेतु सरकरी नीतलरलँ और हसतकषेप एवं उनकल रूपरेखा तथल करलनलववन से उत्पन्न होने वलले मुददे ।

[सुरोत: पी.आई.बी](#)

हलल ही में सड़क परवलहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ- 2022' शीर्षक से एक रपोरट परकलशलतल कल है, जो सड़क दुर्घटनाओं और इससे होने वलली मृत्यु से संबंधतल मलमलों पर परकलश डललतल है ।


- यह रपोरट [एशलल परशांत सड़क दुर्घटना डेटल \(APRAD\)](#) आधलर परथलोजना के अंतर्गत [एशलल और परशांत के ललल संयुक्त राष्ट्र आरथकल एवं सामाजकल आयोग \(UNESCAP\)](#) वलरल परदलन कथल गए मलनकलकृत परारूपों में कैलेंडर वरष के आधलर पर राज्यों/केंद्रशलसतल परदेशों के पुलसल वभलगों से परलप्त डेटल/जलनकरी पर आधलरतल है ।
- APRAD एक सॉफ्टवेयर टूल है जसल वशलष रूप से UNESCAP और उसके सदस्य देशों के ललल एशलल-परशांत क्षेत्र में सदस्य देशों वलरल सड़क दुर्घटना डेटलबेस को वकलसतल करने, अदयतन करने, बनलए रखने एवं परबंधतल करने में सहायतल करने के ललल वकलसतल कथल गयल है ।

### रपोरट के परमुख बढु:

- सड़क दुर्घटनाओं कल संख्यल:**
  - वरष 2022 में भारत में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जनलमें 1,68,491 लोगों ने अपनी जलन गँवलई और कुल 4,43,366 लोग घलयल हो गए ।
  - वगलत वरषों कल तुलनल में दुर्घटनाओं में 11.9 परतशलत, मृत्यु में 9.4 परतशलत और घलयल लोगों कल संख्यल में 15.3 परतशलत कल वृद्धल हुई है ।
- सड़क दुर्घटना वतलरण:**
  - वरष 32.9% दुर्घटनाएँ [राष्टरीय राजमार्गों और एकसपरेसवे](#) पर, 23.1% राज्य राजमार्गों पर एवं शेष 43.9% अन्य सड़कों पर हुईं ।
  - 36.2% मौतें राष्टरीय राजमार्गों पर, 24.3% राज्य राजमार्गों पर और 39.4% अन्य सड़कों पर हुईं ।
- जनसंख्यकलल परभव:**
  - वरष 2022 में दुर्घटना कल शकलर होने वलले लोगों में 18 से 45 वरष के आयु वरग के युवल वयस्कों कल संख्यल 66.5% थी ।
  - इसके अतलरकलत 18-60 वरष के कलमकलज़ल आयु वरग के वयक्तल सड़क दुर्घटनाओं से होने वलली कुल मौतों कल 83.4% हसलसल थे ।
- ग्रलमीण बनलम शहरी दुर्घटनाएँ:**
  - वरष 2022 में सड़क दुर्घटना में ललगभग 68% मौतें ग्रलमीण क्षेत्रों में हुईं, जबकल देश में कुल दुर्घटना मौतों में शहरी क्षेत्रों कल योगदलन 32% है ।
- वलहन श्रेणललँ:**
  - लगलतलर दूसरे वरष 2022 में कुल दुर्घटनाओं और मृत्यु दर दोनों में [दोपहलल वलहनों कल हसलसेदलरी सरवलधकल रही](#) ।
  - कलर, जीप और टैक्सललँ सहलतल हलके वलहन दूसरे स्थलन पर रहे ।
- सड़क-उपयोगकर्तल श्रेणललँ:**
  - सड़क-उपयोगकर्तल श्रेणललँ में कुल मृत्यु के मलमलों में दोपहलल सवलरों कल [हसलसेदलरी सबसे अधकल थी](#), जो वरष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में मलरे गए 44.5% वयक्तलँ कल परतनलधलतलव करतल है ।
  - 19.5% मौतों के सलथ पैदल सड़क उपयोगकर्तलँ दूसरे स्थलन पर रहे ।
- रलज्य-वशलषलट डेटल:**

- वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएँ तमिलनाडु में दर्ज़ की गईं, कुल दुर्घटनाओं में से 13.9%, इसके बाद 1.8% के साथ मध्य प्रदेश का स्थान आता है।
- सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश (13.4%) में हुईं, उसके बाद तमिलनाडु (10.6%) का स्थान रहा। लक्ष्मि हस्तक्षेपों के लिये राज्य-वशिष्ट रुझानों को समझना आवश्यक है।

Chart: 5.1 State/UT- wise distribution of number of accidents during 2021 and 2022



#### ■ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना:

- सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या भारत में सबसे अधिक है, इसके बाद चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है।
- वेनेजुएला में प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर मारे गए व्यक्तियों की दर सबसे अधिक है।

### भारतीय सड़क नेटवर्क की स्थिति:

- सत्र 2018-19 में भारत का सड़क घनत्व 1,926.02 प्रति 1,000 वर्ग कमी. क्षेत्र कई विकसित देशों की तुलना में अधिक था, हालाँकि सड़क की कुल लंबाई का 64.7% हिसा सतही/पक्की सड़क है, जो विकसित देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है।
- वर्ष 2019 में देश की कुल सड़क की लंबाई का 2.09% हिसा राष्ट्रीय राजमार्गों का था।
- शेष सड़क नेटवर्क में राज्य राजमार्ग (2.9%), ज़िला सड़कें (9.6%), ग्रामीण सड़कें (7.1%), शहरी सड़कें (8.5%) और परियोजना सड़कें (5.4%) शामिल हैं।

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण उपाय:

#### ■ शिक्षा के उपाय:

- सड़क सुरक्षा के बारे में प्रभावी जन जागरूकता बढ़ाने के लिये मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रचार उपाय एवं जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
- इसके अलावा मंत्रालय सड़क सुरक्षा समर्थन के संचालन हेतु विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये एक योजना लागू करता है।

#### ■ इंजीनियरिंग उपाय:

- योजना स्तर पर सड़क सुरक्षा को सड़क डिज़ाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। सभी राजमार्ग परियोजनाओं कसभी चरणों में

सड़क सुरक्षा ऑडिट (RSA) अनिवार्य कर दिया गया है।

- मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठे यात्री के लिये एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान को अधिसूचित किया है।

■ **प्रवर्तन उपाय:**

- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019।
- सड़क सुरक्षा नयिमों की इलेक्ट्रॉनिक नगिरानी और प्रवर्तन {इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों (स्पीड कैमरा, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा आदि के माध्यम से) के व्यवहार के लिये वसितृत प्रावधान को नरिदष्टि करना}।

## सड़क सुरक्षा से संबंधति पहल:

■ **वैश्वकि:**

◦ **सड़क सुरक्षा पर ब्राज़ीलिया घोषणा (2015):**

- इस घोषणा पर ब्राज़ील में आयोजति सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्वकि उच्च-स्तरीय सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर कयि गए। भारत भी इस घोषणापत्र का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।
- देशों की योजना **सतत वकिस लक्ष्य 3.6** अर्थात् वर्ष 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्वकि मौतों और चोटों की संख्या को आधा करने की है।

◦ **सड़क सुरक्षा के लिये कार्रवाई का दशक 2021-2030:**

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने वर्ष 2030 तक कम-से-कम 50% सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को रोकने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ **"वैश्वकि सड़क सुरक्षा में सुधार"** संकल्प को अपनाया।
- वैश्वकि योजना सड़क सुरक्षा के लिये समग्र दृष्टिकोण के महत्त्व पर बल देते हुए **सुटोकहोम घोषणा** के अनुरूप है।

◦ **अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूलयांकन कार्यक्रम (iRAP):**

- यह एक पंजीकृत चैरिटी है जो सुरक्षति सड़कों के माध्यम से लोगों की जान बचाने के लिये समर्पति है।

■ **भारत:**

◦ **मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:**

- यह अधिनियम यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, नाबलकिों द्वारा वाहन चलाने आदि के लिये दंड में वृद्धि करता है।
- यह अधिनियम **मोटर वाहन दुर्घटनाओं हेतु सहायक नधि** प्रदान करता है तथा भारत में कुछ वशिष प्रकार की दुर्घटनाओं पर सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को अनिवार्य बीमा कवरेज प्रदान करता है।
- यह दुर्घटना के समय करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण का भी प्रावधान करता है।

◦ **सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम, 2007:**

- यह अधिनियम सामान्य माल वाहकों के वनियमन से संबंधति प्रावधान प्रदान करता है, उनकी देयता को सीमति करता है और उन्हें वतिरति कयि गए माल के मूल्य की घोषणा करता है ताकि ऐसे सामानों के नुकसान या क्षति के लिये उनकी देयता का नरिधारण कयि जा सके, जो लापरवाही या आपराधिक कृत्यों के कारण स्वयं, उनके नौकरों या एजेंटों की गलती से/जानबूझकर हुआ हो।

◦ **राष्ट्रीय राजमार्ग नयित्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2000:**

- यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के भीतर भूमि का नयित्रण, रास्ते का अधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का नयित्रण करने संबंधी प्रावधान प्रदान करता है तथा साथ ही उन पर अनधिकृत कब्जे को हटाने का भी प्रावधान करता है।

◦ **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1998:**

- यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के वकिस, रखरखाव और प्रबंधन के लिये एक प्राधिकरण के गठन तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगकि मामलों से संबंधति प्रावधान प्रस्तुत करता है।